शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 20 – 27 अप्रैल 2026 मूल्य पांच रूपये

वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और महिलाओं की अनदेखी पंचायत चुनावों में बड़ा मुद्दा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इन दिनों जिस दौर से गुजर रही है, वह केवल सामान्य अंदरूनी असंतोष नहीं बल्कि एक गहरे संगठनात्मक संकट की ओर इशारा करता है। पंचायत चुनावों से ठीक पहले पार्टी के भीतर उठ रही बगावत की आवाजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और इस बार इनका सीधा निशाना प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल पर साधा गया है। पूर्व

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा विप्लव ठाकुर ने उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि निर्णय प्रक्रिया शिमला तक सीमित बैठकों में सिमट गई है और जमीनी हकीकत से दूरी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि यदि फैसले केवल सीमित दायरे और कुछ चुनिंदा लोगों की राय के आधार पर लिये जाएंगे, तो संगठन की मजबूती और विस्तार पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है। यह ब्यान किसी एक व्यक्ति पर हमला भर नहीं, बल्कि उस कार्यप्रणाली की आलोचना है जिसे लेकर पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष पनप रहा था।

इस असंतोष को सबसे ज्यादा हवा हाल ही में घोषित 71 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची ने दी है, जिसने संगठन के भीतर विवाद को खुला रूप दे दिया। इस सूची में एक भी महिला को स्थान नहीं मिलना अपने आप में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, खासकर तब जब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है और पंचायत स्तर पर उनकी भागीदारी 52 प्रतिशत से भी अधिक है। यह तथ्य न केवल महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में संगठनात्मक ढांचे में उनकी पूरी तरह अनदेखी पार्टी की रणनीतिक सोच पर सवाल खड़े करती है। विप्लव ठाकुर ने इसे जल्दबाजी और सिफारिश आधारित नियुक्तियां बताते हुए कहा है कि इससे न केवल जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है बल्कि सामाजिक संतुलन भी बिगड़ा है, जो आने वाले चुनावों में नुकसानदायक साबित हो सकता है।

पिछले कुछ महीनों में सामने आये बयानों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि असंतोष किसी एक फैसले तक सीमित नहीं है बल्कि यह कई स्तरों पर जमा हो रही नाराजगी का परिणाम है। वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने लगातार सरकार और संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया और जिन अधिकारियों को वे पास रखना चाहते थे, उन्हें दूर भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, जबकि मंत्री सक्षम हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हाल ही में उनका यह बयान कि यदि मंडी की जनता उन्हें जिताती तो वे मुख्यमंत्री होते, पार्टी के भीतर चल रही नेतृत्व संबंधी खींचतान को सार्वजनिक रूप से उजागर करता है। इसी तरह नीरज भारती भी कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह असंतोष अलग-अलग गुटों में फैल चुका है और अब इसे दबा पाना आसान नहीं रह गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी एक बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह है कि निर्णय प्रक्रिया में केंद्रीकरण बढ़ा है और जमीनी स्तर से मिलने वाले फीडबैक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। इससे कार्यकर्ताओं में यह भावना पैदा हो रही है कि उनकी भूमिका सीमित हो गई है और यही निराशा अब बगावत के रूप में सामने आ रही है।

पंचायत चुनावों के संदर्भ में यह बगावत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि स्थानीय चुनावों में व्यक्तिगत छवि और सामाजिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 के पंचायत चुनावों के आंकड़े इस

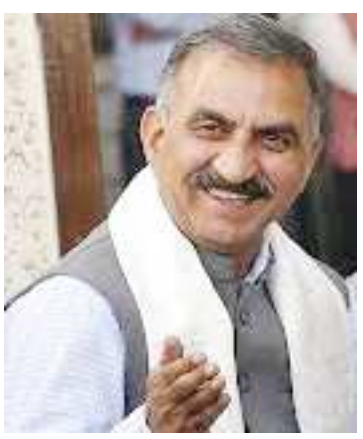

बात की पुष्टि करते हैं कि बागी उम्मीदवारों का असर कितना गहरा हो सकता है। उस चुनाव में लगभग 20 से 25 प्रतिशत सीटों पर बागी उम्मीदवार मैदान में थे और करीब 10 से 15 प्रतिशत मामलों में उन्होंने जीत दर्ज की थी। कई जगहों पर वोटों के विभाजन ने आधिकारिक समर्थित उम्मीदवारों को सीधे नुकसान पहुंचाया, जिसका फायदा विपक्षी उम्मीदवारों को मिला। इस बार भी यदि यही स्थिति बनी रहती है तो कांग्रेस के लिए चुनौती और बढ़ सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का रुझान भी इस समीकरण को प्रभावित करता है। पंचायत चुनावों में अकसर पार्टी की बजाये उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, उसका सामाजिक जुड़ाव और स्थानीय स्तर पर उसकी सक्रियता अधिक मायने रखती है। ऐसे में यदि बागी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं तो वे आसानी से पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को चुनौती दे सकते हैं। महिलाओं की अनदेखी जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन सकते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार कर सकते हैं।

कुल मिलाकर हिमाचल

कांग्रेस में उभरती यह बगावत केवल असंतोष का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बड़े संगठनात्मक असंतुलन का संकेत है, जिसमें 'नारी शक्ति' का सवाल अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैक्टर बनकर उभर रहा है। यदि नेतृत्व समय रहते इस असंतोष को दूर करने और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने में विफल रहता है, तो पंचायत चुनावों में इसका सीधा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं यदि पार्टी इस स्थिति को सुधारने के अवसर के रूप में लेती है और संगठनात्मक ढांचे में संतुलन स्थापित करती है, तो यही मुद्दा उसके पक्ष में भी जा सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट है कि हिमाचल की राजनीति में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव इस बगावत और 'नारी शक्ति' के सवाल का पहला बड़ा इम्तिहान साबित होंगे, जहां यह तय होगा कि यह असंतोष केवल आवाज बनकर रह जाएगा या फिर राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाली ताकत में तब्दील होगा।

शासन का मूल जन – केंद्रित प्रशासन होना चाहिए:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि शासन का मूल उद्देश्य जन – केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, जहां प्रत्येक निर्णय में आम नागरिक का हित सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने यह बात लोक भवन में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) बैच 2025 के 15 परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान कही। ये अधिकारी वर्तमान में डॉ मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्यपाल ने अधिकारियों को ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सिविल सेवक सुशासन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण को प्रशासन का आधार बताते हुए विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब अधिकारी 'परिपूर्ण दृष्टिकोण' अपनाकर हर पात्र व्यक्ति तक लाभ सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने अधिकारियों को बदलाव का संवाहक बनने का आहवान करते हुए कहा कि सक्रिय और उत्तरदायी प्रशासन ही नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार ला सकता है।

नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित शासन की आवश्यकता पर बल देते हुए कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि बदलते समय में चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग जरूरी है। उन्होंने नशे की बढ़ती समस्या, जलवायु परिवर्तन और जैविक खेती जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने और जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में कृषि, पर्यटन और सतत विकास के क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए युवा अधिकारियों से इन क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों से समाज को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए टीम भावना के साथ काम करना आवश्यक है।

विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के भविष्य को आकार देने में युवा अधिकारियों की भूमिका अहम है। उन्होंने अधिकारियों को हर निर्णय में जनहित को प्राथमिकता देने की सलाह दी और विश्वास जताया कि वे प्रशासनिक दक्षता और जनविश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर हिपा की निदेशक रुपाली ठाकुर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को फील्ड एक्सपोजर, संस्थागत शिक्षा और जमीनी स्तर के अनुभव प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वे प्रशासन की वास्तविक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज और कोर्स निदेशक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे।

'विजन 2047' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में 'विजन 2047: समृद्ध और महान भारत 2.0' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन स्वदेशी शोध संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए मजबूत नीतियां, नवाचार और संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

इस दौरान उन्होंने आईआईटी रुड़की की इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोगशाला का दौरा किया और वहां चल रहे शोध कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सतत और पर्यावरण – अनुकूल तकनीकों के विकास में वैज्ञानिकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल को दिव्यांगजनों के लिए विकसित एक विशेष 'सुगम गतिशीलता वाहन' भी प्रस्तुत किया गया, जिसे याली मोबिलिटी ने आरती फाउंडेशन और भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार सामाजिक समावेशन और सुगमता को बढ़ावा देते हैं।

सम्मेलन को जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

कार्यक्रम में देश – विदेश के 100 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में संशोधन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र लोगों को बिना देरी के उनका हक मिल सके।

पिछले तीन वर्षों में 99,799 नए मामलों को मंजूरी दी गई है, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। सबसे अधिक 5 लाख से ज्यादा लोग राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में विधवा और दिव्यांगजन भी योजना से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 – 24 में 41,799, 2024 – 25 में 41,012 और 2025 – 26 में 16,988 नए मामले स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, 69 वर्ष तक की 2.67 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये पेंशन दी जा रही है।

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों की पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जिससे करीब 7,000 लोगों को लाभ मिलेगा।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि विधवा, परित्यक्त और एकल महिलाओं तथा 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे अब इन वर्गों के लोगों के लिए पेंशन प्राप्त करना आसान हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति दौरे से पहले मुख्य सचिव ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। शिमला में 27 अप्रैल से प्रस्तावित राष्ट्रपति दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में द्रौपदी मुर्मु के हिमाचल प्रवास की तैयारियों का गहन आकलन किया गया। यह दौरा न केवल प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि राज्य की छवि और व्यवस्थागत क्षमता की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति 27 अप्रैल को शिमला पहुंचेंगी और एक सप्ताह के दौरान कांगड़ा जिला, लाहौल एवं स्पीति जिला तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगी। इस दौरान सुरक्षा, यातायात, आवागमन और कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर कई स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से सुरक्षा प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा पास जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और नियंत्रित रखने, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी और रूट प्लानिंग को सटीक बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि दौरे के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

यातायात प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। शिमला जैसे पहाड़ी शहर में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों और ट्रैफिक डायवर्जन की योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही मीडिया कवरेज को व्यवस्थित रखने और प्रेस के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, सचिव (सामान्य प्रशासन) आशीष सिंहमार, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कुल्लू जिला, कांगड़ा और लाहौल – स्पीति के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपने – अपने क्षेत्रों की तैयारियों की जानकारी साझा की।

प्रशासन के लिए यह दौरा एक बहुस्तरीय समन्वय का उदाहरण बनने जा रहा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों, सिविल प्रशासन और स्थानीय इकाइयों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस दौरे को पूरी तरह सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय की गई है।

राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रहेगा, बल्कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय सहभागिता का भी प्रतिबिंब प्रस्तुत करेगा। ऐसे में राज्य सरकार इस अवसर को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती के साथ – साथ अपनी कार्यक्षमता प्रदर्शित करने के मौके के रूप में भी देख रही है।

पेट्रोल – डीजल, एल पी जी की आपूर्ति सामान्य

शिमला/शैल। आशुतोष गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ईंधन या गैस का स्टॉक न करें।

उन्होंने बताया कि मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई – स्पीड डीजल का स्टॉक राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी डिपो और पेट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति जारी है, जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है।

एलपीजी को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्थिर बताई गई है। वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत में गैस की सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य में गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी सामान्य रूप से जारी है।

तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि हिमाचल में लगभग 91 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग डिजिटल माध्यमों जैसे SMS और IVRS के जरिए हो रही है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का पालन भी करीब 85 प्रतिशत तक हो रहा है, जिससे सही उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है।

कुछ एलपीजी वितरकों के खिलाफ मिली शिकायतों पर सख्ती दिखाई जा रही है। इसके लिए विशेष टीमें बनाकर आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर कारवाई की जा रही है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर छापेमारी भी की जा रही है।

कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करें और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास रखें।

इसके अलावा, वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को भी पहले की तुलना में 70 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। कमजोर वर्गों और प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है।

टैक्सी – ट्रक ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांगड़ा जिला के टैक्सी एवं ट्रक ऑपरेटर्स यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से कमर्शियल वाहनों के लिए आरटीओ और एमवीआई के माध्यम से मैनुअल फिटनेस टेस्ट की सुविधा पुनः शुरू करने का आग्रह किया, ताकि स्थानीय ऑपरेटर्स को हो रही व्यावहारिक दिक्कतों से राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि पहाड़ी राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया है।

प्रतिनिधिमंडल में यूनियन के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

हिमाचल में विभागीय परीक्षाएं स्थगित नई तिथि जल्द घोषित होगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 28 अप्रैल से 7 मई 2026 तक प्रस्तावित विभागीय परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं।

ये परीक्षाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस), तहसीलदार/नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी तथा अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित की जानी थीं। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की नई तिथि – सारणी जल्द ही डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

धरेच बनी हिमाचल की पहली ग्रीन पंचायत, 500 किलोवाट सौर परियोजना शुरू

शिमला/शैल। शिमला ज़िला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की धरेच ग्राम पंचायत प्रदेश की पहली ग्रीन पंचायत बनकर उभरी है। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने दौरे के दौरान 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है।

करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना का कार्य जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और 30 मार्च 2026 को इसे विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया गया। अब यह परियोजना प्रतिदिन लगभग 3000 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, जबकि इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 8 लाख यूनिट रहने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदा जाएगा। इससे ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष लगभग 28 लाख रुपये की स्थिर आय प्राप्त होगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

इस परियोजना को एक समावेशी और जनकल्याणकारी मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। प्राप्त राजस्व का 30 प्रतिशत हिस्सा पंचायत के विकास कार्यों पर खर्च होगा, जबकि 20 प्रतिशत राशि अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा 20 प्रतिशत राज्य सरकार को, 10 प्रतिशत हिम ऊर्जा को तथा शेष 20 प्रतिशत संचालन और रख-रखाव के लिए प्रदान किया जाएगा।

25 वर्षों की अनुमानित आयु वाली यह सौर परियोजना न केवल स्वच्छ और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा।

30 जून तक प्रदेश के सभी सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि 30 जून तक प्रदेश के सभी सीबीएसई पैटर्न स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये से औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की। साथ ही, शाह नहर परियोजना का कार्यालय, जिसे पहले मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब वापस फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा। महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये और वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की गई।

उन्होंने हिमकेयर योजना में गड़बड़ी के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय इस योजना में अनियमितताएं हुई थीं, जिन्हें अब सुधारा जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 151 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। फतेहपुर में आठ विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं और आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हल्दी, दूध और अन्य उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। साथ ही, मछुआरों और गरीब परिवारों के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर विधायक भवानी सिंह पठानिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आरजीवीएसवाई के तहत 4,000 हेक्टेयर में पौधरोपण का लक्ष्य, 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को आजीविका से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार की पहल तेज होती दिख रही है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना (आरजीवीएसवाई) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए वन विभाग ने लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान में करीब 1,100 सामुदायिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिनमें 60 प्रतिशत महिला समूह, 20 प्रतिशत युवा समूह और 20 प्रतिशत अन्य स्वयं सहायता समूह शामिल होंगे। योजना के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो इसे राज्य की प्रमुख हरित योजनाओं में शामिल करता है।

पिछले वर्ष इस योजना के तहत लगभग 300 महिला समूहों, 70 युवा समूहों और 75 अन्य समूहों ने करीब 1,100 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया था। इस अनुभव के आधार पर इस बार लक्ष्य को लगभग चार गुना बढ़ाया गया है, जो सरकार की बढ़ती प्राथमिकता और भरोसे को दर्शाता है। योजना के विस्तार के साथ ही इसका सामाजिक प्रभाव भी व्यापक होने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

इस पहल के तहत लगभग 15,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। प्रत्येक समूह को प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है और एक समूह 2 से 5 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण कर सकता है। इसके साथ ही योजना में पौधों की जीवित रहने की दर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई समूह एक वर्ष बाद 50 प्रतिशत से अधिक पौधों को जीवित रखने में सफल रहता है, तो उसे हर दो हेक्टेयर पर 1 लाख रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल पौधरोपण बल्कि उनके संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है।

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बंजर और अनुपयोगी भूमि को हरित क्षेत्र में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूहों को पेड़, फलदार पौधे और अन्य उपयोगी प्रजातियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, इन पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं समूहों को सौंपी जा रही है, जिससे सामुदायिक भागीदारी को मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के वन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी।

कुल मिलाकर, आरजीवीएसवाई न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभर रही है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायो विशेषकर महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी साबित हो रही है।

फतेहपुर में 153.81 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान 153.81 करोड़ रुपये की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने ब्यास नदी पर 103.65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 800 मीटर लंबे पुल का शिलान्यास किया। यह पुल टैरेस (पोंग बांध जसूर सड़क) को सथाना (भरवाई डमताल सड़क) से जोड़ेगा, जिससे फतेहपुर और जसवां परागपुर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा, 13.60 करोड़ रुपये की लागत से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान फतेहपुर और 3.14 करोड़ रुपये की लागत से अनाज मंडी फतेहपुर में पार्किंग व अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया गया।

नाबार्ड के तहत 9.09 करोड़ रुपये से बनने वाली फतेहपुर बदियाली सड़क और 35 लाख रुपये की लागत से शहीद स्मारक का भी शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने 12.82 करोड़ रुपये की लागत से बने संयुक्त कार्यालय भवन फतेहपुर का उद्घाटन किया। साथ ही 5.27 करोड़ रुपये की कोडी बेला पराल सड़क और 5.89 करोड़ रुपये की पलाख चरूड़ी व मल्हारीडुहाग सड़क का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

यूटिलिटी डक्ट कार्य में तेजी लाने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में चल रहे यूटिलिटी डक्ट निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला क्लब तक 10 मई और लिफ्ट तक 15 जून तक तारकोल बिछाने का काम हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला में छोटा शिमला से विलीज पार्क तक करीब 7 किलोमीटर लंबा यूटिलिटी डक्ट बनाया जा रहा है, जिस पर लगभग 145 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम की गति बढ़ाई जाए और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि शिमला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। इसलिए शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाना जरूरी है। इस परियोजना के तहत बिजली, पानी और अन्य केबल्स को जमीन के नीचे डाला जाएगा, जिससे पेड़ों और खंभों पर लटकते तारों का जाल खत्म होगा और शहर साफ-सुथरा दिखेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना शिमला की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ लोगों को बेहतर सुविधाएं भी देगी। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, 34.31 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण-शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 34.31 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उन्होंने नेरी (हमीरपुर) में 3.63 करोड़ रुपये से बने छात्रावास और ताबो (लाहौल-स्पीति) में 1.48 करोड़ रुपये के कृषि विज्ञान केंद्र भवन का उद्घाटन किया। साथ ही नेरी, खग्गल (हमीरपुर) और नौणी (सोलन) में वर्किंग वुमन हॉस्टल्स के निर्माण की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती प्रदेश का भविष्य है और इसे बढ़ावा देने में विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। राज्य में दो लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 1.98 लाख को प्रमाणित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी सहित कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। साथ ही अदरक को पहली बार एम एसपी में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार किसान हित में योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

आत्म – सम्मान किसी भी प्रकार का विचार नहीं जानता।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

सीमावर्ती युवाओं की बढ़ती उम्मीदें और जमीनी हकीकत

देश के सीमावर्ती गांवों के विकास की बात नई नहीं है, लेकिन इन इलाकों के युवाओं की हकीकत अब भी बदलने का इंतजार कर रही है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 'जीवंत ग्राम कार्यक्रम' के तहत आयोजित कार्यशाला ने एक बार फिर उम्मीदें जगाई हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये पहल सच में युवाओं के जीवन में बदलाव ला पाएगी या फिर यह भी योजनाओं की लंबी सूची में एक और नाम बनकर रह जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों के युवा आज भी रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं अक्सर कागजों पर अच्छी दिखती हैं, लेकिन जमीन पर उनकी पहुंच सीमित रहती है। गृह मंत्रालय के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भले ही 662 गांवों को आत्मनिर्भर बनाना हो, लेकिन युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है क्या उन्हें वास्तव में रोजगार मिलेगा?

कौशल विकास की बात तब सार्थक होती है जब वह स्थानीय जरूरतों और बाजार की मांग से जुड़ी हो। सीमावर्ती गांवों के युवाओं को ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत है, जो उनके अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर पैदा करे। यदि प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें काम के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़े, तो यह पूरी प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी।

एक और बड़ी समस्या है संसाधनों और प्रशिक्षकों की कमी। कार्यशालाओं में इन मुद्दों को स्वीकार तो किया जाता है, लेकिन समाधान अक्सर धीमे रहते हैं। गांवों में प्रशिक्षण केंद्रों की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव और योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता जैसे मुद्दे आज भी जस के तस हैं। ऐसे में युवाओं को मिलने वाला प्रशिक्षण अधूरा और कम प्रभावी रह जाता है।

इसके अलावा, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी भी युवाओं के विश्वास को कमजोर करती है। कई बार लाभार्थियों के चयन में स्पष्टता नहीं होती और जानकारी भी समय पर नहीं पहुंचती। इससे जरूरतमंद युवा पीछे रह जाते हैं और अवसर कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो जाते हैं।

युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि उन्हें केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि रोजगार या स्वरोजगार के लिए वास्तविक समर्थन मिले। इसके लिए जरूरी है कि कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों, पर्यटन, कृषि और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जाए। साथ ही, प्रशिक्षण के बाद वित्तीय सहायता, मार्केट लिंक और मेंटरशिप भी उपलब्ध कराई जाए।

कुल मिलाकर, 'जीवंत ग्राम कार्यक्रम' एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह युवाओं की वास्तविक जरूरतों को कितना समझता और पूरा करता है। सीमावर्ती युवाओं को वादों से ज्यादा ठोस अवसरों की जरूरत है। अगर यह कार्यक्रम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो यह बदलाव की शुरुआत बन सकता है, वरना यह भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा।

इस्लाम : आस्था, विवेक और जिम्मेदारी का संतुलन ही धर्म का सच्चा मार्ग

गौतम चौधरी

आज की तेज़-रफ्तार और अक्सर भ्रमित कर देने वाली दुनिया में लोग दिशा और स्पष्टता की तलाश में धार्मिक नेतृत्व की ओर देखते हैं। विशेषकर उन समाजों में जहाँ आस्था जीवन का अभिन्न हिस्सा है, धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली और मार्गदर्शन है। इस्लाम भी इसी प्रकार करुणा, न्याय और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित एक संपूर्ण जीवन-दृष्टि प्रस्तुत करता है। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसकी मूल शिक्षाओं के स्थान पर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रस्तुत संकीर्ण और घृणा-प्रेरित व्याख्याएँ प्रमुख हो जाती हैं।

इस्लाम का मूल स्वरूप शांति, संतुलन और दया पर आधारित है। इसकी बुनियादी शिक्षाएँ मानवता, न्याय और सह-अस्तित्व की वकालत करती हैं। इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में बार-बार इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति को न्यायप्रिय होना चाहिए, भले ही वह उसके स्वयं के हितों के विरुद्ध क्यों न हो। बुराई का उत्तर भलाई से देना, धैर्य और क्षमा का मार्ग अपनाना, ये सभी इस्लामी मूल्यों का हिस्सा हैं। स्पष्ट है कि यह विचारधारा घृणा या विभाजन को नहीं, बल्कि समरसता को बढ़ावा देती है।

बावजूद इसके, कुछ अवसरों पर धर्म का उपयोग व्यक्तिगत, राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि आज के दौर में इस प्रकार की प्रवृति लगभग सभी धर्मिक चिंतनों में देखने को मिल रहा है लेकिन कुछ इस्लामिक धार्मिक नेता अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ग्रंथों की अपने अनुसार व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, संदर्भो को तोड़-मरोड़कर लोगों के सामने रखते हैं और भय, क्रोध या पीड़ित-भावना को उभारते हैं। ऐसे संदेश तात्कालिक रूप से प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वे समाज में विभाजन और गलतफहमी को जन्म देते हैं।

इस मामले में बरेलवी फिरके के इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तुफैल खान साहब फरमाते हैं, ''घृणा-आधारित नेतृत्व का अनुसरण केवल सामाजिक ताने-बाने को ही नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को भी अवरुद्ध कर देता है। जब धर्म के नाम पर नफरत को बढ़ावा दिया जाता है, तो लोग उसके वास्तविक उद्देश्य, आंतरिक शांति और नैतिक सुधार से दूर हो जाते हैं। इस्लाम स्पष्ट रूप से यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मो और इरादों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए बिना समझे किसी का अंधानुकरण करना न केवल अनुचित है, बल्कि भटकाव का कारण भी बन सकता है।''

धार्मिक ग्रंथ स्वयं चिंतन और ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करते हैं। वे अंधी आज्ञाकारिता को नहीं, बल्कि समझ और विवेक को महत्व देते हैं। इसका अर्थ है कि आस्था का पालन करने वाले व्यक्तियों को अपने धर्म को पढ़ना, समझना और उसे संतुलित दृष्टिकोण के साथ जीवन में उतारना चाहिए। केवल नकारात्मकता फैलाने वाले स्रोतों पर निर्भर रहना इस सिद्धांत के विपरीत है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब धर्म का दुरुपयोग हुआ है, तब-तब संघर्ष और पीड़ा उत्पन्न हुई है। वहीं, जब उसके वास्तविक मूल्यों को अपनाया गया, तब समाज में एकता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा मिला। सच्चे धार्मिक विद्वानों और नेताओं ने हमेशा संवाद, न्याय और करुणा का मार्ग अपनाया है, जिससे विविध समुदायों के बीच सम्मान और विश्वास कायम हुआ।

युवाओं पर इसका प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जीवन के इस चरण में वे अपनी पहचान और उद्देश्य की तलाश में होते हैं, जिससे वे भावनात्मक और प्रभावशाली संदेशों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। यदि उन्हें संकीर्ण और घृणापूर्ण विचारधारा का सामना करना पड़ता है, तो उनकी सोच नकारात्मक दिशा में जा सकती है। इसके विपरीत, यदि उन्हें ज्ञान, सहानुभूति और सेवा-भाव पर आधारित शिक्षाएँ मिलती हैं, तो वे समाज के जिम्मेदार और सकारात्मक नागरिक बनते हैं।

ऐसे में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रामाणिक स्रोतों तक पहुँच, योग्य मार्गदर्शन और खुला संवाद, ये सभी तत्व लोगों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करते हैं। परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ प्रश्न पूछना प्रोत्साहित किया जाए और समझ को अंधानुकरण से ऊपर रखा जाए।

भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण देश में यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ सामाजिक सद्भाव आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है। यदि धर्म का उपयोग विभाजन के लिए किया जाता है, तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। इसके विपरीत, जब लोग अपने धर्म के वास्तविक मूल्य को शांति, न्याय और करुणा का पालन करते हैं, तो समाज में विश्वास और एकता मजबूत होती है।

सच्ची आस्था वही है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाए। धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से अपने विश्वास को समझे, सत्य की खोज करे और यह सुनिश्चित करे कि उसके विचार और कर्म मानवता तथा नैतिकता के अनुरूप हों। यही मार्ग न केवल व्यक्तिगत शांति बल्कि सामाजिक समरसता की भी आधारशिला बन सकता है।

ट्रैक से संसद तक: क्यों भारत के भविष्य का नेतृत्व महिलाओं को करना चाहिए

डॉ पी टी ऊषा
राज्यसभा सांसद, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल खेल संघ,

मैंने अपना पूरा जीवन भागदौड़ में ही बिताया है, पहले केरल की कच्ची सड़कों पर, फिर वैश्विक मंचोंपर और अब सार्वजनिक जीवन के गलियारों में। हर कदम पर मुझे कई मुश्किलो का सामना करनापड़ा है, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अनकही बाधाओं का भी, जिन्होंने महिलाओं को यह बताया उिनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैंने यह भी देखा है कि जब ये बाधाएं टूटने लगती हैं तो क्या होता है।

अवसर परिणामों को बदल देता है और इससे भी ज़रुरी बात यह है कि यह लोगों की सोच को बदलदेता है। यही कारण है कि संविधान (एक सौ अठाईसवाँ संशोधन) विधेयक, 2023नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधायी उपलब्धि नहीं है। यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित संरचनात्मक सुधार है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना न तो कोई रियायत है और न ही दिखावा। यह अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी लोकतंत्र की दिशा में एक ज़रुरी कदम है।

खेलों ने हमें क्या सिखाया है जब मैंने 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में हिस्सा लिया और कुछ ही सेकंड के अंतर से पदक से चूक गई, तब बहुत कम भारतीय लड़कियां थीं, जो वैश्विक मंच पर खुद को देख पाती थीं। लेकिन पिछले कई दशकों में यह स्थिति बदली है। प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और पहचान तक पहुंच में सुधार के साथ, भारतीय महिलाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता हासिल करने लगीं है।

पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट और मैरी कॉम जैसी एथलीटें अकेले नहीं उभरीं। वे एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम हैं, जिसने धीरे-धीरे ही सही, पहुंच को व्यापक बनाना शुरू किया।

प्रतिनिधित्व आकांक्षाएं पैदा करता है और आकांक्षा, जब समर्थित होती है, तो उपलब्धि दिलाती है। सबक साफ है। जब महिलाओं को स्थान दिया जाता है, तो वे व्यवस्था में केवल भाग नहीं लेतीं, वे शानदार प्रदर्शन भी कर दिखाती हैं। हर भारतीय के लिए बेहतर शासन भारत में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने के बाद से, विभिन्न राज्यों में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार हुआ है।

ये महज़ ''महिलाओं के मुद्दे'' नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। महिला नेता अक्सर सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, सुचारू रूप से चलने वाले स्कूल, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी शासन से जुड़ी उन रोजमर्रा की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो परिवारों और समुदायों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।

इस प्रतिनिधित्व को राज्य विधानसभाओं और संसद तक विस्तारित करना केवल निष्पक्षता की बात नहीं है। यह शासन की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ा है।

प्रतिनिधित्व का आर्थिक महत्व भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी विश्व में सबसे कम है, जो लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है। यह केवल एक सामाजिक चिंता नहीं, बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है।

विधानसभाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व उन नीतियों को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है, जो इस अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती हैं, जैसे किफायती बाल देखभाल, सुरक्षित कार्यस्थल, ऋण तक पहुंच और महिला उद्यमियों के लिए समर्थन। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीटयूट का अनुमान है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से भारत की जीडीपी में 700 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है।

अधिक समावेशी संसद न केवल एक लोकतांत्रिक आवश्यकता है, बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है।?

सुरक्षा, गरिमा और भागीदारी

भारत भर में लाखों महिलाओं के लिए, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी अभी भी सुरक्षा, भेदभाव और असमान पहुंच की चिंताओं से प्रभावित है। चाहे खेल हो, शिक्षा हो या कार्यस्थल, ये समस्याएं हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं।

संसद में अधिक महिलाओं का मतलब है कि कानून और नीतियां महज़ समझ से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की हकीकत से आकार लेती हैं। इसका मतलब है प्रवर्तन के लिए मजबूत वकालत, सहायता प्रणालियों के लिए संसाधनों का बेहतर आवंटन और एक न्याय ढांचा, जो उत्तरदायी और सुलभ हो।

शासन तभी अधिक प्रभावी होता है, जब वह उन लोगों के अनुभवों को दर्शाता है, जिनकी वह सेवा करता है। प्रतिनिधित्व और आकांक्षाओं की शक्ति भारत में सत्ता की छवि लंबे समय से मुख्य रूप से पुरुष प्रधान रही है। उस छवि को बदलना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह एक बदलावकारी प्रक्रिया है।

जब मणिपुर, झारखंड, राजस्थान या भारत के किसी भी हिस्से की कोई युवती अपने जैसी दिखने वाली, अपने जैसी बोलने वाली और समान पृष्ठभूमि से आने वाली किसी महिला को देश के कानूनों को आकार देते हुए देखती है, तो यह सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि यह संभावनाओं के प्रति उसके विश्वास को भी बदल देती है।

आकांक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का आधार है। विधानसभाओं में आरक्षण से स्तर कम नहीं होता, बल्कि अवसरों का दायरा बढ़ता है।

भारत की महिलाओं ने खेल जगत, सशस्त्र बलों, विमानन और व्यावसायिक पदों पर पहले ही कई बाधाओं को पार कर लिया है। विधायी प्रतिनिधित्व इस यात्रा का स्वाभाविक अगला कदम है। अब है कार्यवाही का वक्तराज्यसभा में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे विविध दृष्टिकोण बहस और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। फिर भी, आज लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल लगभग 15 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। अब बस इसे पूरी तरह, निष्ठापूर्वक और बिना देर किए लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रुरत है।

भारत अपनी आधी आबादी को सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकायों में कम प्रतिनिधित्व देते हुए, विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा नहीं रख सकता। आधी प्रतिभा को दरकिनार करके विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता, न ही आधी आवाज़ पर सच्चा लोकतंत्र फल-फूल सकता है।

आगे का रास्ता साफ है। सवाल यह है कि क्या हम उस पर चलने का दृढ़ संकल्प रखते हैं।

पोषण निगरानी ऐप:कुपोषण के समाधान के लिए डेटा का उपयोग

– प्रो. लिंडसे जैक्स–
(प्रोफेसर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण)

हममें से कई लोग अपने डॉक्टरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करते हुए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डेटा समय के साथ हमारे स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करेंगे, जोखिमों की शुरुआत में ही पहचान कर लेंगे और समय पर कार्रवाई को निर्देशित करेंगे। डिजिटल प्रणालियाँ केवल डेटा संग्रह के कारण ही नहीं, बल्कि जानकारी को निर्णय और बेहतर देखभाल में बदलने में मदद करने की वजह से सबसे बेहतर काम करती हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किए जाने के बाद, पोषण निगरानीऐप ने पोषण सेवा अदायगी डेटा को अधिक कार्रवाई-योग्य बनाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य केवल डिजिटलीकरण करना नहीं, बल्कि बाल विकास और पोषण सेवाओं को दर्ज करने और समीक्षा करने में अधिक गंभीरता और निरंतरता लाना है।

पोषण निगरानी में नियमित रूप से एकत्र किए गए वृद्धि डेटा को अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के लिए सार्थक निर्णयों में बदलने की क्षमता है। मासिक वृद्धि निगरानी-यदि सही ढंग से मापी जाए और लगातार रिकॉर्ड की जाए तो जोखिम के शुरुआती संकेत प्रदान कर

सकती है। एक एकल, निरंतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वृद्धि रुझानों को पूरक पोषण उपायों से जोड़ने में मदद कर सकता है, जैसे घर ले जाने वाला राशन, देखभाल करने वालों का परामर्श और गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करना आदि। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हमें डैशबोर्ड से निर्णय की ओर और गणना से देखभाल की ओर बदलाव करने की आवश्यकता है। अंतर्निहित संकेत, सरल चेकलिस्ट और चेतावनी(

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कमजोर या गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए बाद की कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आरसीएच 2.0 पोर्टल के डेटा के साथ एकीकरण, समन्वय की साथ की गयी घर की यात्रा के जरिये रेफरल फॉलो-अप को और भी मजबूत कर सकता है।

वर्तमान में, एकत्रित वृद्धि डेटा एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। मापन प्रथाओं और प्रणाली समर्थन में सुधारों के साथ, यह समय पर निर्णय लेने में भरोसेमंद जानकारी

प्रदान कर सकता है। सटीक निर्णय मूलभूत चीज़ों को ठीक करने पर निर्भर करते हैं भरोसेमंद मापन, सही तकनीकें और कार्यात्मक उपकरण। यदि किसी बच्चे की ऊँचाई या वजन एक महीने में असामान्य रूप से बदलता है, तो प्रणाली को सत्यापन या पुनः मापन का संकेत देना चाहिए। ऐप में शामिल छोटे माइक्रो-वीडियो देखभाल के स्थल पर वजन पैमाने और लंबाई बोर्ड के सही उपयोग को सुदृढ़ कर सकते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में माप-संकेत वाले और कार्यात्मक उपकरण मौजूद हों। ये मूलभूत बातें वृद्धि निगरानी डेटा की उपयोगिता को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

पोषण निगरानी डेटा का विश्लेषण डैशबोर्ड से निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव का भी समर्थन कर सकता है। सबसे पहले, हमें पता होना चाहिए कि कुपोषण की सबसे अधिक संभावना कब होती है किस उम्र में और वर्ष के किन महीनों में। क्या यह जन्म के समय होता है? या क्या 0 से 3 महीने या 3 से 6 महीने महत्वपूर्ण हैं, जब माताओं को केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? या यह 6 महीने से 1 साल के दौरान होता है, जब पर्याप्त, उचित और सुरक्षित पूरक आहार की आवश्यकता होती है?

पोषण निगरानी डेटा के विश्लेषण से हमें उन बच्चों के बारे में और ज्यादा जानने में भी मदद मिल सकती है जो कुपोषण से ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ खास ज़िलों के बच्चों में ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है? क्या खरीफ फसल की कटाई वाले महीनों के दौरान बच्चों के ठीक होने की संभावना अधिक होती है? इसी तरह, ऐसे विश्लेषण हमें उन बच्चों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं जो अपने पूरे बचपन के दौरान बार-बार या लगातार कुपोषण का शिकार होते रहते हैं। क्या ये वे बच्चे हैं, जो जन्म के समय से ही कुपोषण के शिकार थे और बाद में भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए? क्या ये वे बच्चे हैं, जिन्हें घर ले जाने वाला राशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है? इस तरह की जानकारी होने पर, स्थानीय स्तर पर पोषण सेवा अदायगी को बेहतर बनाया जा सकता है।

डेटा पर भरोसा बढ़ाना, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कार्यभार में कमी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। प्रणाली में विश्वास बढ़ने के साथ, अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक रिकॉर्ड के रूप में ऐप का उपयोग करने की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि, कई जगहों पर, संचार-संपर्क की समस्याओं या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण डिजिटल प्रविष्टि के साथ-साथ कागजी रजिस्टर भी रखे जाते हैं। ऑफ़लाइन कार्यक्षमता को मजबूत करना, डेटा की विश्वसनीयता में सुधार करना और डिजिटल-प्रथम कार्यप्रवाह पर स्पष्टता प्रदान करना, सेवा स्थल पर डेटा प्रविष्टि की ओर बदलाव को गति देने और दोहरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। प्रणाली को परिष्कृत करने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि ऐप उनके काम में सहायक हो। पोषण निगरानी ऐप समय पर और सोच-समझकर फ़ैसले लेने में मदद करने वाला एक भरोसेमंद उपकरण है। इसकी असली ताकत जोखिम की जल्द पहचान करने, तेज़ी से बाद की कार्रवाई करने और पोषण सेवाओं के बेहतर तालमेल को सक्षम बनाने में है। आखिरी छोर की ज़मीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर बनाया गया और डेटा की गुणवत्ता व इसके इस्तेमाल में हुए लगातार सुधारों से और मज़बूत बनाया गया पोषण निगरानी ऐप, सिर्फ़ एक निगरानी उपकरण ही नहीं, बल्कि पोषण सेवा अदायगी को मज़बूत बनाने का एक सार्थक उपाय भी है।

कसुम्पटी में 51.10 करोड़ की 15 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला ज़िला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान धरेच और

चियोग में 51.10 करोड़ रुपये की 15 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न संपर्क सड़कों के निर्माण और उन्नयन को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें फागू से धरेच सड़क (15.23 करोड़), धरेच से चटोग वाया मांडा सड़क (7.85 करोड़), डरन से जुब्बड़ सड़क (4.81 करोड़), खेती जुब्बड़ से खद्ररव सड़क (1.50 करोड़), फागू से सरिऊ सड़क (2 करोड़), बंगापानी से चडैल सड़क (2.70 करोड़), चियोग से जठाई सड़क (3 करोड़), धलेऊ से जनू नाला सड़क (2.50 करोड़), न्होग से कनेशी सड़क (2.60 करोड़), धलैऊ से धार सड़क (91 करोड़) और क्यानाला से सरोग सड़क (2 करोड़) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, चियोग बाजार से गांव मेहाना सड़क (90 लाख) तथा तलाई-देहना से गांव करयाल सड़क (1 करोड़) के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 1.14 करोड़ रुपये की लागत से धरेच में सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत घर के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित चियोग बाईपास सड़क का उद्घाटन भी किया, जिससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

इन परियोजनाओं से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

देहरियां में नया विद्युत उपमंडल खोलने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वालामुखी में विद्युत मंडल और उपमंडल कार्यालय भवनों के निर्माण तथा 33 केवी सब-स्टेशन के सुदृढ़ीकरण कार्य का

शिलान्यास किया। करीब 4 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं से 35,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देहरियां में नया विद्युत उपमंडल खोलने की घोषणा भी की, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या कम होगी और लोगों को अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पहले ही 48 करोड़ रुपये की लागत से 9 नए 33 केवी उपमंडलों की घोषणा की जा चुकी है, जिन पर काम जारी है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार श्री ज्वालामुखी मंदिर, श्री चिंतपूर्णी मंदिर और श्री नैना देवी मंदिर के विकास पर भी काम कर रही है। इसके तहत ज्वालामुखी और नैना देवी के सौंदर्यीकरण पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की घोषणा की गई है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। स्थानीय विधायक संजय रत्न ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

शहरी विकास के लिए मांगी 5400 करोड़ की केंद्रीय सहायता:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास के लिए 5400 करोड़

रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी प्रदान करने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता मनोहर लाल खट्टर ने की, जिसमें 'शहरी चुनौती कोष' पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस कोष के तहत बड़े पैमाने पर परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं। उन्होंने छोटे शहरी निकायों की सीमित आय क्षमता को देखते हुए राज्य के लिए 1,350 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का आग्रह किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित व्यावसायिक लाभ के कारण निजी निवेश आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में पुनर्विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है, जिससे केंद्र सरकार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

मंत्री ने फंडिंग पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत बॉन्ड, बैंक ऋण या पीपीपी मॉडल से जुटाने की अनिवार्यता को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग और केंद्रीय सहायता का अनुपात बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

हिमाचल प्रदेश की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी और 67 प्रतिशत वन क्षेत्र है, जिसके कारण विकास के लिए भूमि सीमित है। इसके बावजूद बढ़ते पर्यटन दबाव को देखते हुए सुनियोजित शहरीकरण बेहद जरूरी हो गया है।

प्रस्तावित परियोजनाओं में स्मार्ट पार्किंग, स्काईवॉक, हेरिटेज सौंदर्यीकरण, पारंपरिक बाजारों का आधुनिकीकरण और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी शहरों के लिए हाइड्रोलिक पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित की गई हैं।

मंत्री ने आपदा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भूमिगत यूटिलिटी डक्ट विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया, जिससे शहरी सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और शहरों की सुंदरता में सुधार होगा। साथ ही, इंटीग्रेटेड वेलनेस इको-टूरिज्म सेंटर और योजनाबद्ध टाउनशिप के विकास का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने शहरी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने तथा क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।

बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य को 1100 से 1200 करोड़ रुपये की प्राथमिकता वाली परियोजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें 25 प्रतिशत राशि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी, जबकि शेष संसाधन राज्य को पीपीपी मॉडल या वित्तीय संस्थानों से जुटाने होंगे। बैठक में डॉ. नीरज कुमार भी उपस्थित रहे।

एमएसपी बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं, मक्की, जौ, हल्दी और अदरक जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है, जिससे हिमाचल के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। नई दरों के अनुसार गेहूं की एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्की की 40 से 50 रुपये प्रति किलो और पांगी घाटी की जौ की 60 से 80 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। कच्ची हल्दी की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसे 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। वहीं, प्राकृतिक रूप से उगाई गई अदरक को 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा।

सरकार हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष करीब 2,000 किसानों से विभिन्न फसलों की खरीद करेगी। इसके लिए 6.95 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले ही 2 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और 2026 तक 1 लाख और किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए ऐसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सरकार का यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगा।

सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत शेष 30% ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए अथवा सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की शेष 30 प्रतिशत राशि जारी करने के आदेश दिए गए हैं। लंबे समय से लंबित इस भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में चार किस्तों का भुगतान कर चुकी है। इसके अतिरिक्त मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी जारी की जा चुकी हैं, जिन्हें बकाया के साथ समायोजित करने का प्रावधान रखा गया है। इससे भुगतान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश के बाद किसी भी पात्र कर्मचारी या उनके परिवार की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी कोई राशि लंबित न रहे। साथ ही, भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

यह निर्णय वित्तीय दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राज्य पर बढ़ते आर्थिक दबाव के चलते कई भुगतान चरणबद्ध तरीके से किए गए थे। अब शेष राशि जारी करना सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वह लंबित देनदारियों को प्राथमिकता से निपटाने की दिशा में काम कर रही है।

कुल मिलाकर, यह कदम न केवल कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास को भी मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

देहना, ठियोग में संतुलित उर्वरक उपयोग पर जागरूकता अभियान

शिमला/शैल। शिमला के ठियोग क्षेत्र की ग्राम पंचायत देहना में किसानों को वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक विशेष अभियान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराना तथा मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार लाना था।

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों की टीम ने किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याओं को सुना और व्यावहारिक समाधान साझा किए। पंचायत प्रधान कंचन स्नैक ने वैज्ञानिकों का स्वागत करते हुए इस पहल को किसानों के लिए उपयोगी बताया। बड़ी संख्या में किसानों और स्थानीय निवासियों की भागीदारी ने इस अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाया।

डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग न केवल उत्पादन बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की दीर्घकालिक सेहत के लिए भी जरूरी है। उन्होंने मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बिना परीक्षण के उर्वरकों का उपयोग किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

डॉ. अनिल कुमार चौधरी ने रासायनिक, जैविक और जैव उर्वरकों की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को कम्पोस्ट, वम कम्पोस्ट और जैव उर्वरकों को अपनाने की सलाह दी, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वहीं डॉ. आलोक कुमार ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि जैविक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से बेहतर उत्पादन और आय में वृद्धि संभव है।

इस अवसर पर डॉ. दलामू ने क्षेत्र के लिए उपयुक्त आलू की किस्मों की जानकारी दी, जबकि डॉ. अविनाश राय ने पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्वों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में धर्मेंद्र गुप्ता, रीना वर्मा, सेनावती और विनोद स्नैक सहित अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम वैज्ञानिक जानकारी को सीधे खेत तक पहुंचाने में मददगार हैं। अभियान का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे, ताकि सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

शिमला/शैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के पांच दिवसीय

दौरे पर शिमला पहुंचीं, जहां उनके आगमन पर गर्मजोशी और गरिमा के साथ स्वागत किया गया। शिमला के समीप कल्याणी हेलीपैड पर आयोजित स्वागत समारोह में राज्य के शीर्ष नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही।

राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हुए उनके इस महत्वपूर्ण दौरे को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया।

इस अवसर पर कुलदीप सिंह पठानिया, अनिरुद्ध सिंह (मंत्री-इन-वेटिंग), सुरेश कुमार कश्यप, सुरेंद्र चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रशासनिक स्तर पर संजय गुप्ता, अशोक तिवारी और सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. धैय्या ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों, संस्थागत गतिविधियों और जनसंपर्क से जुड़े आयोजनों से परिपूर्ण रहेगा, जिससे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सहारा पेंशन योजना को लेकर जयराम का सरकार पर तीखा हमला

शिमला/शैल। शिमला में सहारा पेंशन योजना को लेकर छिड़ा विवाद

अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेंशन रोकने के लिए जीवित लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। यह आरोप सीधे तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है।

सहारा पेंशन योजना, जो शारीरिक रूप से अक्षम और जरूरतमंद लोगों के लिए एक अहम सहारा मानी जाती रही है, उसी में गड़बड़ियों के आरोप राजनीतिक रंग ले चुके हैं। जयराम ठाकुर का कहना है कि कई लाभार्थियों की पेंशन महीनों से बंद है और जब वे कारण जानने जाते हैं, तो उन्हें मृत बताया जाता है। यह दावा यदि व्यापक स्तर पर सही साबित होता है, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी का मामला बन सकता है।

इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसे सरकार की संवेदनहीनता के उदाहरण के रूप में पेश कर रही है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। विपक्ष इस मुद्दे को व्यवस्था परिवर्तन के दावे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और इसे आम लोगों के साथ अन्याय के रूप में सामने ला रहा है।

जयराम ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया कि जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, वे खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सत्यापन की जिम्मेदारी खुद उठाई जाए, न कि इसे लाभार्थियों पर थोपा जाए।

काश फाउंडेशन द्वारा कश्मीरी खानों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

शिमला/शैल। काश फाउंडेशन द्वारा शिमला में पहली बार

आयोजित निःशुल्क चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर ने समाज के एक बेहद उपेक्षित वर्ग कश्मीरी खानों को राहत और उम्मीद का नया संदेश दिया। यह शिविर जामा मस्जिद परिसर में आयोजित किया गया, जहां 30 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया।

कश्मीरी खान, जो शहर में अपनी पीठ पर भारी सामान ढोकर जीवनयापन करते हैं, अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से दूर रहते हैं। उनके कार्य की प्रकृति के कारण वे मांसपेशियों में ऐंठन, घुटनों और रीढ़ की समस्याओं, तथा हृदय संबंधी बीमारियों से जूझते हैं। गरीबी और जागरूकता की कमी के चलते ये समस्याएं लंबे समय तक अनदेखी रह जाती हैं।

इस पहल के पीछे डॉ. अवकाश जाधव की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में अपनी एसोसिएट फेलोशिप के दौरान 100 से अधिक कश्मीरी खानों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों को 24 अप्रैल 2026 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस समुदाय की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को सामने लाया गया।

शिविर की अध्यक्षता डॉ. नरेंद्र महाजन ने की, जबकि डॉ. मोहम्मद शहनवाज़ हसन ने संसाधन व्यक्ति के रूप में श्रमिकों को स्वास्थ्य जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, और फिजियोथेरेपी अभ्यासों के महत्व पर जोर दिया।

शिविर में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया और आयुष्मान भारत तथा हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी साझा की गई। डॉ. महाजन ने अपने चैरिटी क्लिनिक में भविष्य में भी निःशुल्क परामर्श और दवाइयों की सुविधा देने का आश्वासन दिया।

हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में होगी पूरी सरकार ने जारी की अधिसूचना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी की है। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। पहले चरण के तहत 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक हाउस लिस्टिंग एवं आवास जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी दिया जाएगा। यह स्व-गणना प्रक्रिया मुख्य चरण शुरू होने से पहले 15 दिनों के भीतर पूरी की जा सकेगी।

दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी, जबकि हिमाचल के बर्फीले क्षेत्रों में यह कार्य सितम्बर 2026 में ही पूरा किया जाएगा। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना अधिकारियों को सही जानकारी देकर सहयोग करें।

अधिसूचना में बताया गया है कि जनगणना आंकड़े योजना निर्माण, नीति निर्धारण, प्रशासनिक सुधार और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही Census Act, 1948 के तहत नागरिकों के लिए सही जानकारी देना अनिवार्य है। गलत जानकारी देने, सहयोग न करने या कार्य में बाधा डालने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान भी किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना से संबंधित सभी आंकड़े गोपनीय रहेंगे और उनका उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा।

हरित ऊर्जा में आगे बढ़ता हिमाचल, सौर व पनबिजली परियोजनाओं को गतिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की

वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग 13 हजार मिलियन यूनिट है, जिसमें से 90 प्रतिशत जरूरत को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए छोटी पनबिजली परियोजनाओं के विकास को गति दी जा रही है। हाल के वर्षों में 7 नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जबकि कई परियोजनाएं पूर्ण और स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी राज्य सरकार सक्रिय है। 500 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर पार्क और अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। कांगड़ा में 200 मेगावाट का सौर संयंत्र और विभिन्न स्थानों पर सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार द्वारा ग्रीन पंचायती कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी समर्थन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दूरदराज क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैटरी स्टोरेज और ऑफ-ग्रिड सौर संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।

प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने का आग्रह

शिमला/शैल। जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता सी.आर. पाटिल ने की।

सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश में चल रही 169 सतही लघु सिंचाई योजनाओं में से 149 सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, जबकि 20 योजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने विभाग की समयबद्ध कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए

कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हालांकि, उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रमुख बाधाओं को भी रेखांकित किया। प्रदेश का लगभग 66 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण वनाधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमतियां प्राप्त करने में विलंब होता है। इसके अलावा वर्ष 2023 और 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं ने कई परियोजनाओं को प्रभावित किया, जिससे कुछ योजनाओं को पुनः डिज़ाइन करना पड़ा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ी।

आपदाओं के चलते 6 पूर्ण हो चुकी और 6 निर्माणाधीन योजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, जिससे परियोजनाओं की समय-सीमा और आगे बढ़ गई। इस संदर्भ में सचिव ने केंद्र सरकार से परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध भी किया।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सिंचाई योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों की सराहना करते हुए कहा कि इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, नकदी फसलों को बढ़ावा मिला है और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिससे पलायन में कमी आई है।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण लागत के मापदंडों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके तहत प्रति हेक्टेयर लागत को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने की मांग की गई। साथ ही SMI-111, SMI-14 और SMI-4 योजनाओं के लिए 60.41 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता तथा MIS के अंतर्गत 273.78 करोड़ रुपये के नए प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

हिमाचल में 51 शहरी निकायों के चुनाव का ऐलान 17 मई को मतदान

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA के तहत कराये जा रहे हैं, जिसके अनुसार शहरी निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन निकायों का आरक्षण रोस्टर सरकार से प्राप्त हो चुका है, उनमें चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

इस चुनाव में कुल 51 शहरी निकाय शामिल हैं, जिनमें 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत हैं। इन सभी निकायों में कुल 449 पदों पर चुनाव होंगे। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुल 195 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जिससे स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद है।

आयोग ने बताया कि मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1 अक्तूबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसे 13 नवंबर 2025 को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को विशेष पुनरीक्षण किया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को मतदान का अधिकार मिल सके।

इन 51 शहरी निकायों में कुल 3,80,859 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिलाएं और 14 अन्य मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि 1,808 युवा मतदाता इस बार पहली बार वोट डालेंगे। आयोग ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताया है।

मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुल 589 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जिन केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होगी, वहां सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जहां संभव हो, महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाए जाएं और वहां महिला स्टाफ व सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए।

मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा SMS के माध्यम से मतदान से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 'वोटर सारथी' ऐप के जरिए मतदाता अपना नाम और मतदान केंद्र की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि केवल उन्हीं मतदाताओं को SMS सूचना मिलेगी, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया है।

मतदान के दिन मतदाताओं को पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ कोई अन्य वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या राशन कार्ड साथ लाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल मतदाता सूची में नाम दर्ज होना ही मतदान के लिए जरूरी है।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम के उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपये, नगर परिषद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये और नगर पंचायत के उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक चुनाव खर्च कर सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का पूरा विवरण जमा करना होगा। इसके लिए आयोग ने candidate expenditure reporting system (CERS) नामक ऑनलाइन प्रणाली भी उपलब्ध कराई है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित न करें। साथ ही सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है।

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोग ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जायें। मतदान और मतगणना से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, मतदान के दिन सभी सरकारी और निजी संस्थानों में सवैतनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सकें।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 21 अप्रैल 2026 को जारी की गई है। नामांकन पत्र 29 और 30 अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे। 2 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 4 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों की मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी। वहीं नगर निगमों के लिए मतगणना 31 मई 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में होने जा रहे ये शहरी निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आयोग को उम्मीद है कि सभी के सहयोग से यह चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न होंगे।

एचपीयू के शोध केंद्रों पर उठते सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 22 जुलाई 2025 को स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू किए गए पांच नए शोध केंद्रों को उस समय बड़े बदलाव की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने दावा किया था कि ये केंद्र ''कैंपस टू कम्युनिटी'' के विज़न को आगे बढ़ाएंगे और विश्वविद्यालय को शोध व नवाचार के नये दौर में ले जाएंगे। उद्घाटन के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह की मौजूदगी ने इस पहल को और महत्व दिया था।

हालांकि, लगभग एक साल बाद इन केंद्रों की वास्तविक स्थिति उम्मीदों के अनुरूप नहीं दिख रही है। जिन केंद्रों से ठोस शोध और सामाजिक प्रभाव की उम्मीद थी, वे फिलहाल सीमित गतिविधियों तक सिमटे नजर आते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप और एमओयू तक ही इनकी सक्रियता दिखाई देती है। ग्रीन एनर्जी और नैनोटेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ प्रयासों को छोड़ दें, तो बाकी केंद्रों की जमीनी उपस्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या इन केंद्रों की स्थापना केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।

इस स्थिति का असर विश्वविद्यालय के पारंपरिक विभागों पर भी पड़ा है। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एनवायरनमेंटल साइंस, फॉरेंसिक स्टडीज और डिफेंस स्टडीज जैसे विभाग पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि इन विभागों की जरूरतों को नजरअंदाज कर नए केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे शैक्षणिक असंतुलन पैदा हो रहा है। हाल के विरोध प्रदर्शन इसी असंतोष को दर्शाते हैं।

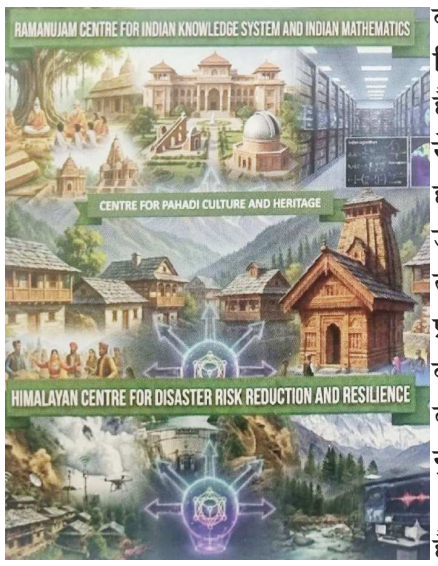

विवाद को और बढ़ाने वाला मुद्दा वर्ष 2026 के विश्वविद्यालय कैलेंडर से जुड़ा है। आरोप है कि इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरें वास्तविक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई हैं। यदि यह सही है, तो यह केवल प्रस्तुति का मामला नहीं बल्कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता का भी सवाल है। एक शैक्षणिक संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी उपलब्धियों को वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही प्रस्तुत करे। अन्यथा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावे संस्थान की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

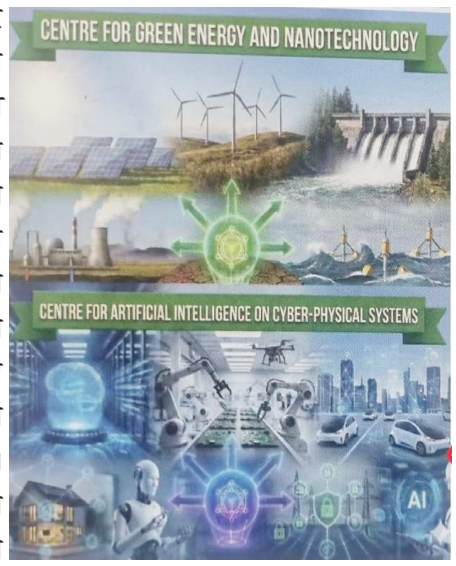

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शोध केंद्र को सफल बनाने के लिए पर्याप्त फंडिंग, योग्य फैकल्टी, स्पष्ट कार्ययोजना और निरंतर निगरानी जरूरी होती है। इन आधारभूत चीजों के बिना कोई भी केंद्र केवल कागजों तक सीमित रह सकता है।

अब 22 जुलाई 2026 को इन केंद्रों को एक साल पूरा होगा, जो विश्वविद्यालय के लिए एक अहम परीक्षा जैसा होगा। इस दौरान यह साफ हो जाएगा कि ये केंद्र अपने उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाये हैं। यह मुद्दा केवल पांच शोध केंद्रों का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता और प्राथमिकताओं से जुड़ा है। यदि प्रशासन समय रहते सुधार करता है, तो स्थिति बेहतर हो सकती है, अन्यथा इसका असर छात्रों और शोधार्थियों के भरोसे पर पड़ सकता है।